न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

राष्ट्रीय लोक अदालत स्थान सुजानगढ़ दिनांक 09.03.2024

राजस्व वाद संख्या : 16 / 2024

निर्णय दिनांक : 09.03.2024

जीसीएमएस संख्या– 2024 / 24

दायर दिनांक – 29.01.2024

भेभाराम पुत्र कुशलाराम जाति जाट निवासी ग्राम धातरी तहसील सुजानगढ जिला चूरू (राज)

..............वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान

...............प्रतिवादी

दावा बाबत राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्ती

उपस्थित :–

1. श्री नरेश सिंवर एडवोकेट वादी
2. प्रतिवादी संख्या 02 पेरोकार राज उपस्थित।

निर्णय

संक्षिप्त में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी के संयुक्त खातेदारी कब्जा, काश्त, उपयोग, उपभोग के खेत खाता संख्या 224 में अंकित खसरा संख्या 189 व 203 तथा खाता सख्या 63 में अंकित खेत खसरा संख्या 139 के संयुक्त खातेदारी में दर्ज स्थित है, जिसमें वादी का नाम भेभाराम पुत्र कुशलाराम अंकित है तथा खाता संख्या 62 में अंकित खेत खसरा संख्या 364 संयुक्त खातेदारी में स्थित है, जिसमें वादी का नाम भेमाराम पुत्र कुशलाराम अंकित है। वादी का सही व वास्तविक नाम भेभाराम पुत्र कुशलाराम है। राजस्व रिकॉर्ड में अंकित खाता संख्या 62 में खसरा संख्या 364 में वादी का नाम भेमाराम पुत्र कुशलाराम अंकित है, जो कि गलत अंकित है, जबकि वादी का सही व वास्तवित नाम भेभाराम पुत्र कुशलाराम है। वादी खाता संख्या 224 व 63 के अनुसार अपना सही व वास्तविक नाम भेभाराम पुत्र कुशलाराम दर्ज करवाना चाहता है, जो कि वादी का कानूनन अधिकार है। यह कि वादी का नाम राजस्व रेकार्ड में भिन्न –भिन्न होने के कारण वादी को राजस्व से संबंधित मिलने वाले सरकारी फायदों में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, जिसके कारण रेकार्ड [illegible] का दावा पेश करने का अधिकार है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Omprakash Verma

Date: 2024.05.06 15:41:31 IST

Reason: SelfAttested

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रति[illegible] तहसीलदार से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानग[illegible] [illegible]दन किया कि

9.3.24

सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़

9/3/24

अध्यक्ष
लोक अदालत
सुजानगढ़

सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़

वादगत खेत खाता संख्या 62 के खसरा संख्या 364 वाके रोही धातरी तहसील सुजानगढ़ में वादी सह खातेदार के रूप में भेमाराम पुत्र कुशलाराम जाति जाट निवासी धातरी खातेदार राहिन हिस्सा 1/7 (पूर्ण खाता) बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा पड़िहारा, हिस्सा 3/28 (पूर्ण खाता) बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा PARIHARA दर्ज है जबकि वादी के दस्तावेजों में नाम भेभाराम पुत्र कुशलाराम दर्ज है। भेमाराम व भेभाराम दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं अतः वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में भेमाराम पुत्र कुशलाराम के स्थान पर भेभाराम पुत्र कुशलाराम किया जाना उचित है।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड की फोटो प्रति, राशन कार्ड की फोटो प्रति, पैन कार्ड की फोटो प्रति, जन आधार कार्ड की फोटो प्रति आदि दस्तावेजात में भी वादी का नाम भेभाराम पुत्र कुशलाराम अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

दावा वादी राष्ट्रीय लोक अदालत में अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खाता संख्या 62 के खसरा संख्या 364 तादादी 7.0306 हैक्टेयर रोही धातरी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की कृषि भूमि की खातेदारी में वादी का नाम भेमाराम पुत्र कुशलाराम जाति जाट निवासी धातरी खातेदार राहिन हिस्सा 1/7 (पूर्ण खाता) बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा पड़िहारा, हिस्सा 3/28 (पूर्ण खाता) बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा PARIHARA के स्थान पर भेभाराम पुत्र कुशलाराम जाति जाट निवासी धातरी खातेदार राहिन हिस्सा 1/7 (पूर्ण खाता) बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा पड़िहारा, हिस्सा 3/28 (पूर्ण खाता) बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा PARIHARA दर्ज किया जावे। तदनुसार परचा डिक्री जारी हो। प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 09.03.2024 को टंकित करवाया जाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Omprakash Verma
Date: 2024.05.06 15:41:31 IST
Reason: SelfAttested

न्यायिक अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

9.3.24
पैनल अधिवक्ता (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़
सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़

रेवन्यू अधिकारी (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़
सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़

डिकरी ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत – राष्ट्रीय लोक अदालत सुजानगढ़ दिनांक 09.03.2024

भेमाराम बनाम राज. सरकार

दावा बाबत रेकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा न0 16 सन 2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु हाजरी श्री नरेश सिंवर एड. मिनजानिब मुद्दई .. मिनजानिब मुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है

कि दावा वादी राष्ट्रीय लोक अदालत में अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खाता संख्या 62 के खसरा संख्या 364 तादादी 7.0306 हैक्टेयर रोही धातरी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की कृषि भूमि की खातेदारी में वादी का नाम भेमाराम पुत्र कुशलाराम जाति जाट निवासी धातरी खातेदार राहिन हिस्सा 1/7 (पूर्ण खाता) बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा पड़िहारा, हिस्सा 3/28 (पूर्ण खाता) बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा PARIHARA के स्थान पर भेमाराम पुत्र कुशलाराम जाति जाट निवासी धातरी खातेदार राहिन हिस्सा 1/7 (पूर्ण खाता) बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा पड़िहारा, हिस्सा 3/28 (पूर्ण खाता) बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा PARIHARA दर्ज किया जावे। तद्नुसार परचा डिक्री जारी हो। प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

चीज ....मुबलिग .... बाबत ....

खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी सालाना

आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक ....

को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **09 माह 03.2024**

9/3/24

न्यायिक अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

लोक अदालत सुजानगढ़

9.3.24

पैनल अधिवक्ता (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

सदस्य लोक अदालत सुजानगढ़

रेवन्यू अधिकारी (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

सदस्य लोक अदालत सुजानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Omprakash Verma
Date: 2024.05.06 16:41:31 IST
Reason: SelfAttested

मुद्दई	रुपया	पै.	मुदालेह	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत		
बाबत इजराय हुक्मनामा			इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये